(वाद सं0– 6724/4/22/2021)

10.08.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, जय कुमार राऊत, की पत्नी–स्व0 कुन्ती देवी, के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के बाद उसके आश्रित को मृत्युपरान्त अनुमान्य उपादान, अव्यवहृत अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि व चतुर्थ वेतनमान की अन्तर राशि का भुगतान नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा अबतक नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **परिवादी की पत्नी, स्व0 कुन्ती देवी, मेहतरानी, नगर निगम, मुंगेर में सफाईकर्मी की दिनांक–17.03.2020 को मृत्युपरान्त उनके सेवान्त लाभ के अन्तर्गत उपादान की राशि 06,02,432/– (छह लाख दो हजार चार सौ बत्तीस रूपये), अव्यवहृत उपार्जित अवकाश की राशि 3,61,459/– (तीन लाख एकसठ हजार चार सौ उनसठ रूपये) तथा अंतर वेतन की राशि 24,724/– (चौबीस हजार सात सौ चौबीस रूपये), कुल 9,88,615/– (नौ लाख अठ्ठासी हजार छह सौ पन्द्रह रूपये) का भुगतान मृतक के आश्रित पुत्र, जय कुमार राऊत, को कर दिया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि शेष बकाया आंतरिक संसाधन में उपलब्ध राशि के आधार पर सभी कर्मी को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित सेवान्त लाभ का भुगतान प्राप्त हो चुका है, लेकिन उसका कथन है कि प्रधन सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा सभी सेवानिवृत आश्रित (मृत) को पंचम एवं षष्टम वेतनमान का अन्तर राशि का भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया है साथ ही साथ वेतन से कटौती की गई

भविष्य निधि की राशि, अद्यतन पारिवारिक पेन्शन, ए०सी०पी० का लाभ एवं सातवाँ वेतनमान का लाभ उसे नहीं दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा आंतरिक संसाधन का बहाना बनाया जाता रहा है।

अब जबकि परिवादी को अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष राशि के भुगतान के सम्बन्ध में **नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर** द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रतर कार्रवाई न करते हुए राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 16–15/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक